जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 11 / डी– 518 दिनांकः– 6-5-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 76वीं बैठक दिनांकः 25.04.11 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		76:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 75वीं बैठक दिनांक 23.03.11 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 75वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 75वीं बैठक दिनांक 23.03.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 75वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना शेष बताया गया। आयुक्त महोदय ने संबंधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणो में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे।
2.	10	76:2	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को ग्राम बदनपुरा के खसरा नं. 521/1 में से 2000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सबस्टेशन हेतु आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम बदनपुरा के खसरा नं. 521/1 में से 2000 वर्गमीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
1.	13	76:2(1)	जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कॉरपोरेशन को 17139.63 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने बाबत।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड पर जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को बस डिपो व प्राईवेट बस स्टेण्ड हेतु योजना के भूखण्ड संख्या 4 की 11058 वर्गमीटर भूमि, भूखण्ड संख्या 6 व इनके मध्य 18 मीटर चौडी सड़क को शामिल करते हुये कुल 17 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। जेसीटीएसएल को उक्त भूमि को इस शर्त के साथ उपयोग में लेने की अनुमति होगी कि प्रश्नगत भूमि पर जेसीटीएसएल अथवा किसी अन्य कम्पनी को लीज पर नही दी जा सकेगी और ना ही इनका इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार व हित सृजन होगा। उक्त भूमि पर किये गये विकास कार्यो पर जविप्रा का एक मात्र पूर्ण अधिकार होगा तथा जविप्रा द्वारा बिना नोटिस दिये कभी भी अपने कब्जे में वापस लिया जा सकेगा। जविप्रा का उक्त भूमि पर पूर्ण स्वामित्व रहेगा।
2.	9	76:2(2)	रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड सं. बी–462 से बी–464 व भूखण्ड सं. बी–466 से बी–469 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	पूर्व में आवंटित 160 फीट चौडाई की रोड पर पुनः प्लानिंग की जाकर यथा सम्भव 162 वर्गमीटर के भूखण्ड सृजित किये जाकर पूर्व आवंटित भूखण्डधारियों को आवंटन किया जावे। यदि कुछ क्षेत्रफल बढता है, तो आरक्षित दर की दुगुनी दर ली जाकर आवंटन पत्र जारी

प्रति० (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				किया जावे। शेष भूमि का यदि स्वतन्त्र भूखण्ड सृजित होता है, तो उसको निलामी से निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।
3.	7	76:2(3)	हनुमान नगर सी–ब्लॉक में स्थित सामुदायिक केन्द्र की दरे बढाने बाबत।	सामुदायिक केन्द्र जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर समिति को रख–रखाव व किराये देने हेतु दिया गया है। उपायुक्त जोन 7 को निर्देशित किया गया कि वह समिति का समस्त रिकार्ड प्राप्त कर आय–व्यय के लेखे की जांच करे व परीक्षणोपरान्त दरे बढाने हेतु प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव प्रस्तुत करे। ऐसे प्रकरण एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत नहीं किये जावे।
4.	12	76:2(4)	डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. (अपील) 2004/08 उनवानी भांकरोटा विकास प्रबन्ध समिति बनाम सरकार की ओर से रा0उ0प्रा0 शाला, भांकरोटा को खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।	डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. (अपील) 2004/08 उनवानी भांकरोटा विकास प्रबन्ध समिति बनाम सरकार व अवमानना प्रकरण सं. 1002/2009 को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भांकरोटा को पूर्व में आवंटित भूमि के स्थान पर खसरा नं. 840 में से मौके पर रिक्त 800 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।
5.	12	76:2(5)	प्रान्तीय भाट भाण्ड राणा ढोली नट समाज विकास समिति को छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु 10 बीघा भूमि ग्राम मूण्डियारामसर में आवंटन के क्रम में।	श्री बाबूलाल राणा अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था को छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु ग्राम मूण्डिया रामसर, तहसील जयपुर के खसरा नं. 159/1 में से 10000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
6.	1	76:2(6)	संजीता बाल निकेतन समिति के नाम से जारी भूखण्ड के आवंटन पत्र व पट्टा अभिलेख पर संशोधित नाम संजिता शिक्षा समिति अंकित करने बाबत।	संस्था का नाम संजीता बाल निकेतन समिति के स्थान पर संशोधित कर संजीता शिक्षा समिति करने का निर्णय लिया गया।
7.	12	76:2(7)	आनन्द बाल गृह सोसायटी को अनाथालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	नगरीय विकास विभाग की नई नीति दिनांक 19.04.2011 के अनुसरण में ग्रम राजारामपुरा के खसरा न0 195 में से 1000 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क व शेष 2000 वर्ग मीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर अनाथालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भेजने का निर्णय लिया गया
8.	12	76:2(8)	अरविन्द भारती विद्यालय समिति को महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	संस्था ने विश्व विद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम मूण्डिया रामसर के खसरा नं. 159/1 में से 30 एकड़ भूमि आरक्षित (डीएलसी) दर पर आवंटन करने का अनुरोध किया है संस्था ने प्रथम वर्ष में 50 करोड व अगले पांच वर्षो में 200 करोड रूपये निवेश करने का उल्लेख किया है संस्था को दिनांक 16.01.1986 को 9534.80 वर्गगज भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गई है। राज्य सरकार की नई नीति दिनांक 19.04.11 के अर्न्तगत उक्त संस्था प्रीमियर संस्थान की श्रेणी में आती है।संस्था को आवंटित की जाने वाली भूमि अविकसित है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 3(v), 5.1 व 5.7 के अनुसार आवंटन व दर संबंधी निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही लिया जाना है अतः संस्था को ग्राम मूण्डियारामसर के खसरा नं. 159/1 में से 30 एकड़

				भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
9.	2	76:2(9)	स्वीमिंग एकेडमी हेतु भूमि आवंटन बाबत।	विद्याधर नगर संस्थानिक क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता व आवंटन के संबंध में विस्तृत जांच उपायुक्त द्वारा की जाकर प्रकरण में एजेण्डा नोट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि कामटेक के.पी.ओ. पार्क, टेक्नोस्क्राईब–इन व डा. आई.टी. प्लेनेट्स लि0 के प्रकरणों में सदस्य सचिव एलपीसी व्यक्तिगत रूप से संबंधित उपायुक्त व विधि प्रकोष्ठ से समन्वय कर माननीय उच्च न्यायालय में भूमि उपान्तरण के लिये शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत करावे। इसी प्रकार सिस्टम बाईलोजी इन्डिया प्रा0 लि0 के प्रकरण में सचिव व उपायुक्त प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करे। प्राईवेट बसों के ठहराव हेतु टोंक रोड, आगरा रोड व अजमेर रोड पर भी भूमि चिन्हित कर आगामी बैठक में एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने के निर्देश उपायुक्तों को दिये गये। राजस्थान आवासन मंडल को सिवाईचक भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में सयुक्त आयुक्त (आर एम एण्ड सी)को निदेर्शित किया गया कि परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक रूप से आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। महत्वपूर्ण राजकीय/निजी संस्थाओं के लंबित प्रकरणों में भी शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 76वी बैठक दिनांक 25.04.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री लोकनाथ सोनी, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सूण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)	सदस्य
9.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजेश चौहान, उपायुक्त जोन–2 व 4	विशेष आमंत्रित
11.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
12.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
14.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित